अनुसूची 14 फारम संख्या 562

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

अजुर यादव वगैरह प्रथम पक्ष

पक्ष

बनाम

अजय कु0 शर्मा वगैरह द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० .... से .... तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या 220/21 सन् 2021

धारा 144 द0प्र0स0

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
29/12/21	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी बिरनी के पत्रांक 1104/बिरनी, दिनांक 18/12/2021 के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद संतुष्ट हूँ कि भुमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होनें कि आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामलें में टकराव को दुर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कारवाइ आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा – 144 दं0 प0 सं0 के अन्तर्गत नोटिश निर्गत कर उभय पक्षों को उक्त जमीन पर जाने से निषेधाज्ञा लागू किया जाता है। मौजा - केन्दुआ थाना न0-80 खाता न0- 29 प्लॉट न0- 847 रकबा - 2.60 एकड़ मध्ये 1.03 एकड़ चौहद्दी उ0 - [illegible] सरकारी द0- टांड दिलचंद महतो पू0 - टांड गणेश [illegible] प0- टांड [illegible] अभिलेख 6/01/22 को उपस्थापित करें। लेखापित अनु0 दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया लेखापित अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया	1104/18.12.21

अनुसूची 14 फारम संख्या 562

न्या...ज्य अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक अर्जुन यादव वगैरह ....प्रथम पक्ष

बनाम

पक्ष अभय कु० गर्ग वगैरह ....द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ....से ....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या 220/21 **सन् 2021**

धारा 144 **द०प्र०स०**

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे गें टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
17/12/21	आवेदक/आवेदिका – अर्जून यादव पिता/पति – खोशी महतो, ग्राम – केन्दुआ, थाना – बिरनी, जिला – गिरिडीह. द्वारा दं0 प्र0 स0 कि धारा 144 के अन्तर्गत विवादित भूमि मौजा – केन्दुआ, थाना – बिरनी थाना नं0 – 80 खाता सं0 – 29, प्लॉट नं0 – 847 रकवा – 2.60 एकड मध्ये 1.03 एकड चौहदी उ0 – सड़क सरकारी, दं0 – टांड डिलचंद महतो, पु0 – टांड गणेश महतो, पं0 – टांड नीज मे भू–विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्रप्त आवेदन पर जॉच/मंतव्य अंचल अधिकारी बिरनी /थाना प्रभारी बिरनी से मांगे। अभिलेख दिनांक 17/12/21 को उपस्थापित करें। 17/12/21	430 17/12/21
06/01/22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। to 20/01/22	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
20/01/22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। to 03/02/22	
03/02/22	अभिलेख उपस्थापित प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष वकालतन उपस्थित। to 17/02/22	
17/02/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष वकालतन उपस्थित। To 24/02/22 [signature]	
24/02/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। प्रश्नागत वाद आवेदक के आवेदन एवं उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी बिरनी एवं थाना प्रभारी, बिरनी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। आवेदक (प्रथम पक्ष) के अनुसार मौजा - केंदुआ, थाना - बिरनी में स्थित खाता - 29, प्लाट - 847 रकबा 2.60 एकड़ में से 1.03 एकड़	

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

भूमि बजरिये हुकमनामा गैरो महतो को हासिल है तथा उसकी जमाबंदी अंचल कार्यालय में कायम है। द्वितीय पक्ष जबरन उक्त भूमि पर जोत-कोड़ करना चाहते हैं।

द्वितीय पक्ष नोटिस प्राप्ति के पश्चात उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल नहीं किये। अत: उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रथम पक्ष के आवेदन में वर्णित तथ्यों के आधार पर यह आदेश पारित किया जाता है।

प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में गैर निबंधित हुकमनामा एवं सरकारी राजस्व रसीद वर्ष 1958-59, 2003-04 से 2011-12, 1984-85 से 2003, 1981-82 से 83-84 के की छाया प्रति, पंजी-II के सत्यापित प्रति की छाया प्रति दाखिल किया गया है।

अंचल अधिकारी, बिरनी तथा थाना प्रभारी बिरनी के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है। प्रथम पक्ष की जमाबंदी गैरनिबंधित

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	हुक्मनामा तथा द्वितीय पक्ष की जमाबंदी भूदान पर्चा के आधार पर कायम है। अंचल अधिकारी द्वारा भूदान भूमि के सम्बन्ध में माल निर्धारण एवं सक्षम पदाधिकारी के द्वारा नामांतरण का उल्लेख नहीं किया गया है। भूदान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्ववर्ती जमींदार द्वारा गैर मजरुआ जमीन को दान देने की स्थिति में राजस्व पदाधिकारी की सहमति एवं ~~Comp~~ क्षतिपूर्ति राशि को छोड़ने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज नहीं दाखिल किया गया है। ऐसी परिस्थिति में भूदान का पर्चा संदेहास्पद प्रतीत होता है। उक्त विवेचन के आलोक में द्वितीय पक्ष के विरुद्ध आदेश को निरपेक्ष घोषित करता हूँ तथा प्रथम पक्ष के हित में रिक्त करता हूँ। यह वाद नोटिस निर्गत [illegible] से दो महीने [illegible] प्रभावी होगा। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। [illegible signature]	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.03.03 13:54:04 +05:30
Location: 192.168.43.238